07-4-2021

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल सदीक मोहम्मद पुत्र अमीर बक्श, जाति– मुसलमान, निवासी– नेहरुनगर गली नंबर 01, शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह सोनीगरा उपस्थित, जिन्होनें वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज मुकदमों में गैरसायल को गैरसायल को झूठा फंसाया गया है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है एवं मजदूरी व नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने या मारपीट करने का कोई मुकदमा दर्ज नही है, गैरसायल वर्तमान में जुआं संबंधी

........लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:13:01 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त नही है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल मकसूद के विरुद्ध पुलिस थाना, शिवगंज में राजस्थान सार्वजनिक धुत (जुआं) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 228 दिनांक 02.11.2020 व 10 दिनांक 15.1.2021 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान सार्वजनिक धुत (जुआं) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 228 दिनांक 02.11.2020 व 10 दिनांक 15.1.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 228 दिनांक 02.11.2020 व 10 दिनांक 15.1.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 11.11.2020 व 25.1.2021 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल सदीक मोहम्मद पुत्र अमीर बक्श, जाति– मुसलमान, निवासी– नेहरुनगर, गली नम्बर 01, शिवगंज, पुलिस थाना, शिवगंज, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। [illegible] का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल [illegible] या गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम [illegible] थानाधिकारी, पुलिस थाना, शि[illegible] को प्रेषित की जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:13:01 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] मालवीया)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.